

प्लॉइंट नं.	बिंदु विवरण	उत्तर/टिप्पणियाँ
दसवां	इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है।	इसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक (वेतन और भत्ते) सीसीएस एफआर और एसआर द्वारा शासित होते हैं और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और जारी किए गए आदेशों के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार होते हैं। मासिक पारिश्रमिक का विवरण पीएफएमएस पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है।